राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी, प्रत्यर्थी विभाग एवं निजी प्रत्यर्थी के अभिभाषक का नाम
1.	320/2023	कुंवर पाल सिंह	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. शक्ति दान चरण, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रेजीडेन्सी सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक श्री सरेन्द्र सिंह, अभिभाषक श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक
2.	1488/2023	कुंवर पाल सिंह	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. शक्ति दान चरण, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रेजीडेन्सी सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक श्री सुरेन्द्र, सिंह, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 16.06.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी का अपील संख्या 320/2023 प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रेजीडेन्सी सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रेजीडेन्सी सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाशोपुर, कोटकासिम, जिला अलवर किया गया था। अपीलार्थी की दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्ति है। अपीलार्थी चक्षु रोग से ग्रसित है और उसका निरन्तर इलाज चल रहा है। अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी

संख्या–4 को समंजित करने के लिए स्थानान्तरण किया गया है। जिस पर अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की सुनवाई कर दिनांक 24.03.2023 द्वारा अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 जारी किये जाने के उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक अन्य आदेश दिनांक 12.01.2023 द्वारा कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर में एपीओ किया गया है, जिस कारण से अपील में चुनौतीग्रस्त आदेश वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवा किस स्थान पर ले। अतः इस आधार पर ही अपील खारिज योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2023 के सबंध में अधिकरण में एक अपील संख्या 1488/2023 प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 12.01.2023 को चुनौती दी गई है। इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन करते हुए प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2023 अपीलार्थी को कभी भी उपलब्ध नहीं कराये गये थे और पूर्व अपील संख्या 320/2023 में निजी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस आदेश का विवरण आने पर उसकी जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस अपील में अपीलार्थी यह निवेदन किया कि अपीलार्थी की दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्ति है। अपीलार्थी ने दिनांक 01.08.2023 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है (अनुलग्नक–2 एवं 3)। अपीलार्थी चक्षू रोग से ग्रसित है और उसका निरन्तर इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के लिए स्थानान्तरण किया गया है। आदेश दिनांक 12.01.2023 की जानकारी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कभी भी नहीं दी गई। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से भी कम समय शेष बचा है। अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश राजस्थान पेंशन सेवा नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने यह कथन गलत अंकित किया है कि उसे आदेश दिनांक 12.01.2023 की जानकारी नहीं थी और उक्त आदेश बाद की दिनांक में जारी किया गया है। जबकि दिनांक 12.01.2023 का आदेश उसी दिन जारी किया गया था। अपीलार्थी को इसकी पूर्ण जानकारी थी फिर भी अपीलार्थी ने गलत तथ्य

अधिकरण के समक्ष पूर्व अपील 320/2023 प्रस्तुत की जो अनुचित एवं अवैध है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना-पत्र व्यय खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील (320/2023) में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक-1) द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रेजीडेन्सी सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाशोपुर, कोटकासिम, जिला अलवर किए जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई है, जिस पर अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की सुनवाई कर दिनांक 24.03.2023 द्वारा अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग और निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग के एक अन्य आदेश दिनांक 12.01.2023 द्वारा कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर में एपीओ किया गया है, जिस कारण से अपील में चुनौतीग्रस्त आदेश वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। अतः इस आधार पर ही अपील खारिज योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध आदेश दिनांक 12.01.2022 (अनुलग्नक-आर/1) से यह तथ्य साबित है कि अपीलार्थी को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और अपीलाधीन आदेश वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। वस्तुतः यह आदेश अपीलार्थी द्वारा अधिकरण में पहली अपील (320/2023) प्रस्तुत करने से पूर्व ही जारी किए हुए है और अपील दायर करने की तिथि को इस अपील में चुनौतीग्रस्त आदेश प्रभाव में नहीं था। लिहाजा इन तथ्यों के आलोक में अपील संख्या 320/2023 बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 12.01.2023 के संबंध में अधिकरण में एक अपील संख्या 1488/2023 प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 12.01.2023 को चुनौती दी गई है। इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन करते हुए प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2023 अपीलार्थी को कभी भी उपलब्ध नहीं कराये गये थे और पूर्व अपील संख्या 320/2023 में निजी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस आदेश का विवरण आने पर उसकी जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस अपील में अपीलार्थी यह निवेदन किया कि अपीलार्थी की दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्ति है। अपीलार्थी ने दिनांक 01.08.2023 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है (अनुलग्नक-2 एवं 3)। अपीलार्थी

चक्षु रोग से ग्रसित है और उसका निरन्तर इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के लिए स्थानान्तरण किया गया है। आदेश दिनांक 12.01.2023 की जानकारी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कभी भी नहीं दी गई। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से भी कम समय शेष बचा है। अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 12.01.2023 राजस्थान पेंशन सेवा नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी को पुनः जयपुर जिले में ही सांगानेर ब्लॉक में लगाया गया है, जबकि पूर्व में उसका स्थानान्तरण जयपुर से अलवर किया गया था। इस आदेश दिनांक 12.01.2023 से किसी को समंजित भी नहीं किया जाना पाया जाता है एवं आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील संख्या 1488/2023 में भी कोई सार नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है। अतः अपील संख्या 320/2023 एवं 1488/2023 सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 320/2023 के पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को समाप्त (Vacate) किया जाता है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 320/2023 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य अपील संख्या 1488/2023 की पत्रावली में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनांक 16.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)